न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 252/12/दावा

1. भुदा पुत्र रामूराम जाति जाट
2. लिखमा पुत्र रामुराम जाति जाट
3. बोदु पुत्र रामुराम जाति जाट
4. गणेश पुत्र लालुराम जाति जाट
5. रामेश्वर पुत्र लालुराम जाति जाट
6. गोरधन पुत्र लालुराम जाति जाट
7. कंवरी बेवा लालुराम जाति जाट
8. भुराराम पुत्र भोमाराम जाति जाट
9. मुलचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट
10. दीपचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट
11. मंगलचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट
12. गुल्लाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट
13. नारायण पुत्र सेवा जाति जाट
14. हणमान पुत्र किशनाराम जाति जाट
15. डालु पुत्र किशनाराम जाति जाट
16. बेगा पुत्र किशनाराम जाति जाट
17. मोहन पुत्र गोपी जाति जाट
18. श्रवण पुत्र गोपी जाति जाट
19. रूकमा बेवा चतरा जाति जाट
20. महेन्द्र कुमार दतक पुत्र चतरा जाति जाट

समस्त निवासीगण केशव का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. चन्द्रदान पुत्र श्योजीराम जाति चारण
2. सवाईसिंह पुत्र गणपतदान जाति चारण
3. जय सिंह पुत्र गणपतदान जाति चारण
4. सुमेर सिंह पुत्र गणपतदान जाति चारण
5. सहदेवसिंह पुत्र गणपतदान जाति चारण
6. सिरू कंवर बेवा गणपतदान जाति चारण
7. बजरंगदान दत्तक पुत्र फुलदान जाति चारण

समस्त निवासीगण केशव का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. भंवरदान पुत्र नृसिंहदान जाति चारण निवासी नगरी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
9. राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
11. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री आर.पी. बाज्या वकील वादीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से

निर्णय दिनांक– 10.10.2014

1. प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाके ग्राम केशव का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के स्थायी निवासी है। उक्त ग्राम केशव का बास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही बसा हुआ है जिसमें वादीगण अपने अपने पुश्तैनी आवासीय मकान व बाड़े बनाकर अपने पूर्वजों के समय से ही निर्बाध रूप से आवास व निवास करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अपने अपने पुश्तैनी आवासीय मकानों एवं बाड़ों पर मय परिवार काबिज है। रेवेन्यू कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भुलवश ग्राम केशव का बास को आज भी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमियों में ग्राम केशव का बास की आबादी भूमियों को दर्ज कर रखा है। जो कानूनन गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति निर्बाध रूप से किसी भी भूमि पर 12 वर्ष से काबिज है तो वह उस भूमि का खातेदार उद्घोषित होने का अधिकारी कानूनन स्वतः ही हो जाता है जबकि उक्त ग्राम केशव का बास को बसे हुये करीब 100 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है तथा आज भी अवैध रूप से प्रतिवादीगण ने ग्राम केशव का बास की आबादी भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवा रखी है। भूमि खसरा नं. 193 रकबा 0.06 है0, 194 रकबा 0.13 है0, 203 रकबा 0.54 है0, 204 रकबा 0.02 है0, 199 रकबा 0.07 है0 एवं ख.नं. 202/2 रकबा 0.11 है0, 202/1 रकबा 0.10 है0 उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण ने कभी भी काश्त नहीं की और ना ही उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने ही कोई काश्त की है। उक्त भूमियां कभी भी काश्त के रूप मे काम में नहीं आई है ना ही वतमान में काश्त के रूप में काम आ रही है। उक्त भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आवासीय मकान एवं बाड़े बने हुए है तथा कुछ भाग ग्रामवासियों के सार्वजनिक चौक के रूप में काम आ रही है। वाद पत्र के पैरा सं. 4 में वर्णित भूमियों की गलत खातेदारियों की आड़ में प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमियों से बेदखल करने एवं अन्य दीगर भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकियां देने से वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है अगर प्रतिवादीगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो जायेंगे तो वादीगण के वैध अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। भूमि खसरा नं. 195 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम केशव का बास में अवस्थित है उक्त भूमि राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास का विधालय

भवन, खेल मैदान बना हुआ है जबकि भूमि खसरा नं. 202 रकबा 0.10 है0 राजकीय प्राथमिक विधालय केशव का बास (बोझा की ढाणी) के नाम से खातेदारी में दर्ज है जबकि राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास भूमि खसरा नं. 195 में अवस्थित है। भूमि खसरा नं. 195 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है व राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास के नाम से खसरा नं. 202/1 दर्ज है जो गलत है इसको दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा नं. 195 रकबा 0.22 है0 राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास के नाम दर्ज की जाये तथा भूमि खसरा नं. 202/1 रकबा 0.10 है0 जिसके कब्जे व स्वामित्व है उसके नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। वाद कारण दिनांक 12.12.12 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने एवं बेदखल करने एवं भूमियों को विकय करने की धमकियां दिये जाने से उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण लगातार जारी है। दावा उचित कोर्ट फीस पर सावधि पेश है। अंत में यह अनुतोष चाहा है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत व डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को मय परिवारजन, नौकरजन जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र की पैरा सं. 4 में वर्णित भूमियों में से वादीगण को बेदखल करने से पाबन्द फरमाया जावें। वाद पत्र की पैरा सं. 4 एवं 5 में वर्णित भूमियों के रेवेन्यू रिकार्ड में संशोधन अमल दरामद कर वादीगण को उनके कब्जे एवं स्वामित्व अनुसार काबिज खातेदार उद्घोषित किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। भूमि खसरा नं. 195 रकबा 0.22 है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास के नाम दर्ज की जावें एवं भूमि खसरा नं. 202/1 रकबा 0.10 है0 भूमि की खातेदारी राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास की खातेदारी से हटाया जाकर उस पर काबिज व्यक्तियों के नाम दर्ज की जाने का आदेश प्रदान किया जावें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। वाद के समर्थन में जमाबंदी ग्राम केशव का बास एवं नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतियां पेश की है।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत हाजिर हुए व वाद के बिन्दुवार तथ्यों को स्वीकार कर विशेष कथन में निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 की खातेदारीशुदा भूमियां है जिनमें प्रतिवादीगण एवं वादीगण विगत काफी वर्षो से पुख्ता पशुओं के मकानात, बाड़ा बनाकर आवास निवास करते आ रहे है मौके पर उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण की कोई फसल आज तक काश्त नहीं की गई है अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमियां सदैव से वादीगण के कृषि प्रयोजनार्थ पक्षकारान के काम आती रही है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का कब्जा अनुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के भौतिक कब्जे के मुताबिक दुरूस्त किया जाना

अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ने आवेदन जरिये वकुलाय फरीकेन पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण में वादीगण भूमि खसरा नं. 202/1 जिसकी खातेदारी राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास के नाम से दर्ज है व भूमि खसरा नं0 195 वाके ग्राम केशव का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में राजकीय प्राथमिक विधालय, केशव का बास का भवन बना हुआ है। इसलिए वादीगण को उक्त भूमियों के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहिए। उक्त दावा में से इन खसरा नंबरों को हटाया जाकर शेष खसरा नम्बरान का दावा निर्णीत एवं डिक्री किया जाना प्रार्थनीय है।

3. वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण ने बहस के दौरान मुताबिक राजीनामा दावा निर्णीत किये जाने में आपति व्यक्त नहीं की गई है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ने आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजियात खसरा नं. 195 व 202/1 के सम्बन्ध में कोई इस्तदुआ नहीं चाहे जाने पर वाद से उक्त खसरा नं. 195 व 202/1 हटाये जावें। अतः पक्षकारान के निवेदन को स्वीकार कर खसरा नं. 195 एवं 202/1 को वाद से हटाया जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजियात खसरा नं. 193, 194, 203, 204, 199, 202/2 वाके ग्राम केशव का बास प.मं. डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में उपरोक्त भूमियों के सम्बन्ध में तहसीलदार, दांतारामगढ से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम केशव का बास प.मं. डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित विवादित आराजियात ख.नं. 202/2 रकबा 0.11 है0 में नारायण द.पु. सेवा 1/2 मोहन, श्रवण पि. गोपी 1/2 जाति जाट, ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. व 203 मि. 0.10 है. नारायण द.पु. सेवा 1/3, मोहन, श्रवण पि. गोपी, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी स्व. चतरू हि. 1/3, हणमान, डालूराम, बेगाराम पि. किशना 1/3 जाट सा. देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.07 है0 व 193 रकबा 0.06 है0 किशोरसिंह बालसिंह रिछपालसिंह नारायण सिंह, रामसिंह पि. चन्द्रदान, बजरंगदान द.पु. फुलदान जाति चारण सा.देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.11 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान जाति चारण, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.13 है., 204 रकबा 0.02 है0, 194 मि. 0.05 है. भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामुराम, गणेशराम, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भूराराम, मूलाराम, दीपाराम, मंगलाराम पि. भोमाराम, गुलाराम पु. लाखाराम जाति जाट सा.देह, खसरा नं. 203 मि. रकबा 0.04 है0, ख.नं. 194 मि. रकबा 0.08 है0 ग्राम पंचायत, डांसरोली को सार्वजनिक चौक एवं रास्ते हेतु, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.08 है0, 203 मि0 रकबा 0.01 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह,

सहदेवसिंह पि. गणपतदान हि. 1/3, किशोर सिंह, बालसिंह, रामसिंह, नारायणसिंह रिछपालसिंह पि. चन्द्रदान सिंह हि. 1/3, बजरंगदान द.पु. फूलदान हि. 1/3 जाति चारण सा.देह, खसरा नं. 198 रकबा 0.01 है0, 199 रकबा 0.07 है0, सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान 1/24, किशोरसिंह, बालसिंह, रामसिंह, रिछपालसिंह, नारायणसिंह पि. चन्द्रदान 1/24, बजरंगदान द. पु. फुलदान 1/24 जाति चारण, नारायण द.पु. सेवाराम, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी चतरू, मोहन, श्रवण पि. गोपी, हणमान, डालू, बेगा पि. किशना हि. ब.हि. 1/2 भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामूराम, गणेश, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भुराराम मूला, दीपा, मंगला पि. भोमाराम, गुल्ला राम पुत्र लाखाराम 3/8 जाति जाट सा.देह मौके पर काबिज होना अंकित किया गया है। उक्त विवादित आराजियात के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा मौके के अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है ग्राम केशव का बास प.मं. डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित विवादित आराजियात ख.नं. 202/2 रकबा 0.11 है0 में नारायण द.पु. सेवा 1/2 मोहन, श्रवण पि. गोपी 1/2 जाति जाट, ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. व 203 मि. 0.10 है. नारायण द.पु. सेवा 1/3, मोहन, श्रवण पि. गोपी, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी स्व. चतरू हि. 1/3, हणमान, डालूराम, बेगाराम पि. किशना 1/3 जाट सा. देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.07 है0 व 193 रकबा 0.06 है0 किशोरसिंह बालसिंह रिछपालसिंह नारायण सिंह, रामसिंह पि. चन्द्रदान, बजरंगदान द.पु. फुलदान जाति चारण सा.देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.11 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान जाति चारण, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.13 है., 204 रकबा 0.02 है0, 194 मि. 0.05 है. भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामुराम, गणेशराम, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भूराराम, मूलाराम, दीपाराम, मंगलाराम पि. भोमाराम, गुलाराम पु. लाखाराम जाति जाट सा.देह, खसरा नं. 203 मि. रकबा 0.08 है0, 203 रकबा 0.01 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान हि. 1/3, किशोर सिंह, बालसिंह, रामसिंह, नारायणसिंह रिछपालसिंह पि. चन्द्रदान सिंह हि. 1/3, बजरंगदान द.पु. फूलदान हि. 1/3 जाति चारण सा.देह, खसरा नं. 198 रकबा 0.01 है0, 199 रकबा 0.07 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान 1/24, किशोरसिंह, बालसिंह, रामसिंह, रिछपालसिंह, नारायणसिंह पि. चन्द्रदान 1/24, बजरंगदान द.पु. फुलदान 1/24 जाति चारण, नारायण द.पु. सेवाराम, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी चतरू, मोहन, श्रवण पि. गोपी, हणमान, डालू, बेगा पि. किशना हि.ब.हि. 1/2 भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामूराम, गणेश, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भुराराम मूला, दीपा, मंगला पि. भोमाराम, गुल्ला राम पुत्र लाखाराम 3/8 जाति जाट सा.देह को आपसी सहमति दिये जाने से काबिज

प्रार्थी का आवेदन अं. धारा 152 CPC का स्वीकार कर लाईन 16 में ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. को आदेशिका से हटाया जाता है।

खातेदार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजियात ख.नं. 203 मि. रकबा 0.04 है0 एवं 194 मि. रकबा 0.08 है0 ग्राम पंचायत, डांसरोली को सार्वजनिक चौक एवं रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में रिकार्डेड खातेदार तहसीलदार, दांतारामगढ के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार समर्पण की कार्यवाही करें। पर्चा डिकी जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 10.10.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

भुदा आदि

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

बनाम चन्द्रदान आदि

दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा एवं रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 252/12/दावा निर्णय दिनांक 10.10.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आरएएस बहाजरी श्री आर.पी. बाज्या वकील मिनजानिब मुद्दई वकील श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है ग्राम केशव का बास प.मं. डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित विवादित आराजियात ख.नं. 202/2 रकबा 0.11 है0 में नारायण द.पु. सेवा 1/2 मोहन, श्रवण पि. गोपी 1/2 जाति जाट, ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. व 203 मि. 0.10 है. नारायण द.पु. सेवा 1/3, मोहन, श्रवण पि. गोपी, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी स्व. चतरू हि. 1/3, हणमान, डालूराम, बेगाराम पि. किशना 1/3 जाट सा.देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.07 है0 व 193 रकबा 0.06 है0 किशोरसिंह बालसिंह रिछपालसिंह नारायण सिंह, रामसिंह पि. चन्द्रदान, बजरंगदान द.पु. फुलदान जाति चारण सा.देह, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.11 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान जाति चारण, ख.नं. 203 मि. रकबा 0.13 है., 204 रकबा 0.02 है0, 194 मि. 0.05 है. भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामुराम, गणेशराम, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भूराराम, मूलाराम, दीपाराम, मंगलाराम पि. भोमाराम, गुलाराम पु. लाखाराम जाति जाट सा.देह, खसरा नं. 203 मि. रकबा 0.08 है0, 203 रकबा 0.01 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान हि. 1/3, किशोर सिंह, बालसिंह, रामसिंह, नारायणसिंह रिछपालसिंह पि. चन्द्रदान सिंह हि. 1/3, बजरंगदान द.पु. फूलदान हि. 1/3 जाति चारण सा.देह, खसरा नं. 198 रकबा 0.01 है0, 199 रकबा 0.07 है0 सवाईसिंह, जयसिंह, सुमेरसिंह, सहदेवसिंह पि. गणपतदान 1/24, किशोरसिंह, बालसिंह, रामसिंह, रिछपालसिंह, नारायणसिंह पि. चन्द्रदान 1/24, बजरंगदान द.पु. फुलदान 1/24 जाति चारण, नारायण द.पु. सेवाराम, महेन्द्र द.पु. चतरू, रूकमणी पत्नी चतरू, मोहन, श्रवण पि. गोपी, हणमान, डालू, बेगा पि. किशना हि.ब.हि. 1/2 भुदा, लिखमा, बोदु पि. रामूराम, गणेश, रामेश्वर, गोरधन पि. लालू, भुराराम मूला, दीपा, मंगला पि. भोमाराम, गुल्ला राम पुत्र लाखाराम 3/8 जाति जाट सा.देह को आपसी सहमति दिये जाने से काबिज खातेदार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजियात ख.नं. 203 मि. रकबा 0.04 है0 एवं 194 मि. रकबा 0.08 है0 ग्राम पंचायत, डांसरोली को सार्वजनिक चौक एवं रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में रिकार्डेड खातेदार तहसीलदार, दांतारामगढ के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार समर्पण की कार्यवाही करें। बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 अक्टूबर, 2014 को जारी की गई।

मोहर

जारी

दस्तखत

ओहदा

प्रार्थी का उपरोक्त अं... धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर डिक्री के साथ 6 में ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. दुरुस्त किया जाता है। जारी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	7	00	मीजान	1	

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।